सर्वोच्च प्राथमिकता/फैक्स

संख्या : 933 /66/2004

प्रेषक,

दया शंकर,
निदेशक/विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी
उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग लखनऊ दि0 25 जून,2004

विषयः– कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा मंडल स्तर पर विकास कार्यक्रमों में समग्र ग्राम्य विकास योजना की समीक्षा।

महोदय,

आप अवगत हैं कि समग्र ग्राम्य विकास योजना प्रदेश की विकास योजनाओं में प्रथम वरीयता की है और इसका उद्देश्य चयनित गांवों के निवासियों को क्रमबद्ध रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका आर्थिक सशक्तीकरण है। इसी निमित्त समग्र ग्राम्य विकास योजना के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हो रहा है जिसमें प्रत्येक सूत्र से चयनित गांवों को संतृप्त किया जा रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देशित किया है कि वह मंडल स्तर पर समीक्षा बैठक करें। समीक्षा बैठक की तिथि आदि से आपको कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा अवगत कराया जायेगा।

कृषि उत्पादन आयुक्त की समीक्षा में यदि कहीं इन 15 सूत्रीय कार्यक्रमों से समग्र ग्राम्य विकास योजना के कार्यान्वयन में कोई शिथिलिता/ चूक/ प्रमाद दृष्टिगोचर होता है तो संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को इसके लिए गम्भीर दण्ड के पात्र होंगे।

आप पूरे मनोयोग से अपने जिले में चयनित समग्र ग्राम्य विकास योजना के गांवों में 15 सूत्रीय कार्यक्रमों का विभिन्न विभागों और योजनाओं में उपलब्ध/ प्रदत्त/ स्वीकृत/ प्राविधानित धनराशि को एकरथ (कन्वर्ज) करके गांवों को संतृप्त करें और

अगले पेज हेतु क्लिक करें

अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को स्पष्ट कर दें कि इसमें कोई भी चूक/ व्यतिक्रम क्षम्य नहीं होगा।

जो अधिकारी/ कर्मचारी शिथिल/ अक्षम या लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति मनोयोग से सम्बद्ध नहीं हो पाएं हों उनके खिलाफ सक्षम स्तर पर कार्यवाही की जाए और यदि कोई कार्यवाही कृषि उत्पादन आयुक्त स्तर पर अपेक्षित हो तो उन्हें इसकी संस्तुति दी जाए। उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए।

पुनः अनुरोध है कि इस ग्रामीण क्षेत्र के अनवरत उन्नयन के कार्यक्रमों के रूप में इस 15 सूत्रीय समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों को संगत सूत्रों से संतृप्त किया जाए। आपको यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि संतृप्तीकरण का मानक वही हो जो सम्बन्धित द्वारा निर्धारित है।

इस विषय में जारी किए गये आदेश से अधोहस्ताक्षरी एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को भी अवगत कराएं।

भवदीय,

(दया शंकर)
विशेष सचिव/ निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या 933/66 (1)/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि 1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी निर्देश देने का कष्ट करें।

2– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(दया शंकर)
विशेष सचिव/ निदेशक।

Top